न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 152/2019

प्रविष्टि दिनांक – 18.12.2019

उनवान

कजोड़ी देवी विधवा स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक
मुस0 विमला पुत्री स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक
मुस0 इन्दा पुत्री स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक
मुकेश पुत्र स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक
रतन पुत्र स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक
अर्जुन पुत्र स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक
मुस0 शिमला पुत्री स्व0 श्री हरिराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चमनपुरा (ईलाहीपुरा) तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

मोहम्मद उमर पुत्र गुलाम मो0 जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला गोल वार्ड नं0 11 टोंक तहसील व जिला टोंक
सरदार मोहम्मद पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला गोल वार्ड नं0 11 टोंक तहसील व जिला टोंक
कुसुम पुत्री गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला गोल वार्ड नं0 11 टोंक तहसील व जिला टोंक
फरीदुन्निसा पुत्री गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला गोल वार्ड नं0 11 टोंक तहसील व जिला टोंक
मुस0 कानी देवी पत्नि जयनारायण जाति गुर्जर निवासी ट्रक स्टेण्ड के पास, मालपुरा तह0 मालपुरा जिला टोंक
शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा जीवन बीमा निगम के पास पुराना बस स्टेण्ड टोंक
तहसीलदार साहब टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री प्रदीप कुमार लोढा – अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री मनोज मुन्दड़ा, – अभिभाषक प्रतिपक्षीगण
श्री गोविन्दनारायण शर्मा, – अभिभाषक प्रतिपक्षीगण
श्री आशिष पाल – अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दावा बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :– 12.01.2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि आराजी खसरा नं0 245, 441/623, 451/2, 452, 457, 469, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 कुल किता 13 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम ईलाहीपुरा तहसील व जिला टोंक (राज0) गुलाम मोहम्मद की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त गुलाम मोहम्मद का देहान्त हो चुका है और अप्रार्थी सं0 01 ता 04 उक्त गुलाम मोहम्मद के वारिसान है। उक्त गुलाम मोहम्मद ने अप्रार्थी सं0 6 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा टोंक से ऋण लेकर उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 6 के पास रहन रख दी थी। उक्त गुलाम मोहम्मद ने बैंक ऑफ बड़ौदा का ऋण नही चुकाया इसलिए उक्त बैंक ऑफ बड़ौदा ने राजस्थान कृषि ऋण निवारण अधिनियम (रोडा एक्ट 1974) के तहत कार्यवाही करते हुए एक डिक्री दिनांक 16.05.1996 को अप्रार्थी सं0 7 तहसीलदार साहब टोंक द्वारा पारित की गई और उक्त डिक्री की इजराय में उक्त भूमि नीलाम की गई, जिसमें भूमि खसरा नम्बर 480 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 452 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 473 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 469 रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 474 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम ईलाहीपुरा प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम ने नीलामी में खरीदी एवं उक्त खसरा नम्बरान का कब्जा प्राप्त

किया। उक्त हरिराम का देहान्त हो चुका है और प्रार्थीगण उसके वारिसान है। इसी प्रकार उक्त गुलाम मोहम्मद का देहान्त हो चुका है और अप्रार्थी सं0 1 ता 4 उसके वारिसान है। उक्त नीलामी में जो ऋण की राशि गुलाम मोहम्मद की बकाया थी, वह सब राशि प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम ने बैंक को अदा कर दी थी। प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम का नीलामी की दिनांक 12.09.1996 से ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और उसकी मृत्यु के पश्चात आज भी उसके वारिसान प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थनापत्र पेश किया कि नीलामी की कार्यवाही गलत की गई है, जिसे स्थगित किया जाकर पुनः नीलामी के आदेश फरमावे जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय टोंक ने अपने आदेश दिनांक 18.05.2001 के द्वारा उक्त नीलामी दिनांक 12.09.1996 को निरस्त करते हुए पुनः नीलामी के आदेश दिए, किन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम द्वारा जो नीलामी में राशि जमा कराई गई थी, उसे उन्हे वापिस लौटाने के बाबत एवं उक्त भूमि को पुनः बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा टोंक को रहन के इन्द्राज बाबत कोई आदेश नही दिया। दिनांक 12.09.1996 से ही हम प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त एस0डी0ओ0 साहब के आदेश दिनांक 18.05.2001 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट पेश की, जो एक एकल पीठ द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खारिज कर दी गई, उसके पश्चात प्रार्थीगण के पूर्वज ने डिविजन बेंच में अपील की, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.12.2017 के द्वारा यह आदेश पारित किया कि प्रार्थीगण को वरीयता के आधार पर पुनः नीलामी में प्रमुखता दी जावे। इसके पश्चात अभी तक कोई नीलामी की कार्यवाही नही की गई और प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में यह कार्यवाही लम्बित होते हुए भी अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दी और इसका नामान्तकरण भी अप्रार्थी सं0 5 ने नामान्तकरण सं0 726 दिनांक 14.01.2019 व नामान्तकरण सं0 730 निर्णय दिनांक 11.06.2019 के द्वारा अपने हक में खुलवा लिया। उक्त दोनों नामान्तकरण के निरस्त करने की कार्यवाही न्यायालय जिलाधीश महोदय, टोंक के न्यायालय में अ0 धारा 82 राज0ले0रे0 एक्ट (रेफरेन्स) की कार्यवाही विचाराधीन है, जिसका केस नं0 01/2019 है एवं जिसमें आगामी पेशी दिनांक 02.12.2019 नियत है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्जा नही चुकाया है, वे डिफाल्टर है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा नही चुकाने की दशा में उक्त भूमि को नीलाम करके हम प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम को कब्जा सम्भलाया है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने कपटपूर्वक अप्रार्थी सं0 5 को उक्त भूमि का बेचान किया है, जबकि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को उक्त भूमि बेचने का अधिकार ही नही था और अप्रार्थी सं0 5 का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा है, इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 5 को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के उक्त भूमि के कब्जेकाश्त में मजाहमत नही करे। अतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे स्वयं, जरिये एजेण्ट, नौकर, रिश्तेदार, ठेकेदार या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की भूमि जिसका पूर्ण विवरण प्रार्थनापत्र के चरण सं0 2 में अंकित है, में किसी भी तरह से मजाहमत, मदाखलत नही करे व सदा सर्वदा के लिए पाबन्द रहे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के हित में लाभप्रद हो, दिलायी जावे।

अधिकारी
(राज0)

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रति जमाबंदी, फोटो प्रति रोडा एक्ट बैंक प्रकरण कार्यवाही , फोटो प्रति सम्पूर्ण निलामी कार्यवाही मय रकम जमा कराने की रशीद, फोटो प्रति आदेश एस0डी0ओ0 सा0 टोंक दिनांक 18.05.2001, फोटो प्रति आदेश तह0 टोंक दिनांक 19.05.2001 बावत निरस्त करने नीलामी कार्यवाही, फोटो प्रति आदेश हाई कोर्ट, फोटो प्रति रोडा एक्ट बैंक प्रकरण कार्यालय तह0 टोंक दिनांक 17.10.2000, प्रमाणित प्रति ना0क0सं0 726 प्रमाणित प्रति कार्यवाही रेफरेन्स प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 5 ने जरिये वकील जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियां पेश की जिसके अनुसार उक्त भूमि आराजी ख0नं0 245, 441/623, 451/2, 452, 457, 469, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 कुल किता 13 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम ईलाहीपुरा तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात उत्तरदाता प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 के पिता गुलाम मोहम्मद की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात थी। जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 03.04.2001 के पत्र क्रमांक 112/जिराले/2001 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को जारी करते हुए उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जांच कर निलामी की कार्यवाही को निरस्त करने बाबत् निर्देश जारी किये गये थे, जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा सम्पूर्ण जांच कर सम्बन्धित नायब तहसीलदार टोंक द्वारा की गई निलामी की कार्यवाही को अपने आदेश दिनांक 18.05.2001 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में पत्र क्रमांक सं0 42/विविध भी जारी किया गया है, जिसके बाद दिनांक 19.05.2001 को तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 595/रोडा/87/96/2001 जारी करते हुए उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में लम्बित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रार्थीगण व उनके पूर्वज के सम्बन्ध में कोई सक्षम आदेश किसी भी अधिकारी/न्यायालय द्वारा जारी नही किया गया हुआ है और ना ही उक्त आदेशों से प्रार्थी गण को कोई अधिकार प्राप्त हुए है। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित भूमि सहित उसके किसी भी भू–भाग से कोई सम्बन्ध नही है, ना ही कभी उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा, काश्त रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में असत्य एवं गलत तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात पर उत्तरदाता के पिता अपने जीवनकाल पर काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 काबिज, काश्त रहे और उनके नाम ही उक्त भूमि का नामान्तरण उनके वारिसान होने से नियमानुसार जांच कर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा तस्दीक किया गया और उसके बाद प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 ने उक्त आराजीयात की पूर्ण प्रतिफल राशि प्रतिपक्षी सं0 5 से प्राप्त कर उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19.05.2017 को प्रतिपक्षी सं0 5 को विक्रय की गई। जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय टोंक में दिनांक 19.05.2017 को पुस्तक सं0 01, जिल्द सं0 560 के पृष्ठ सं0 128 के क्रम सं0 201703042100842 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 1421 के पृष्ठ सं0 188 से 210 पर चस्पा किया गया है। जिसके आधार पर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रतिपक्षी सं0 5 के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। प्रार्थीगण केवल मात्र झूठे तथ्य अंकित कर उक्त भूमि को हड़पना चाहते है, इस कारण ही उन्होने यह प्रार्थनापत्र पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर कब्जा, काश्त होने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सक्षम साक्ष्य पेश नही की है, प्रार्थीगण केवल मात्र उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करना चाहते है। प्रार्थीगण व

उनके पूर्वज मुकदमें बाज व्यक्ति है, जो केवल मात्र उक्त भूमि को हडपना चाहते है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते है कि उक्त आराजीयात से उनका कोई सम्बन्ध नही है, उक्त आराजीयात पर वे कभी काबिज काश्त भी नही रहे है, ना ही उनका कभी उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा रहा है। बावजूद इसके वह विभिन्न न्यायालयों में पृथक–पृथक रूप से अनेकों प्रकरण पेश कर चुके है, जिनको न्यायालय द्वारा खारिज भी किया जा चुका है और अब इसी नियत से केवल मात्र साक्ष्य एकत्रित करने की बदनियती से उन्होने यह प्रार्थनापत्र गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी सं0 5 के विरूद्ध पुलिस थाना सदर जिला टोंक में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 177/2019 अ0 धारा 447, 504, 34 भा0द0स0 एवं धारा 3 (1)(s), 3 (1)(f), 3 (2)(va) एस सी एस टी एक्ट के तहत गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करवायी गई थी, जिसमें बाद जांच अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण झूठा मानते हुए एफ आर सं0 55/2019 अदम वकू झूठ में किता की जाकर न्यायालय के समक्ष पेश की है। उक्त जांच में मौके पर कब्जा व खातेदारी प्रतिपक्षी सं0 5 का ही माना गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष पेश नही हुए है, प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी सं0 5 चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी सं0 5 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा एवं खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियां पेश की जिसके अनुसार उक्त भूमि आराजी ख0नं0 245, 441/623, 451/2, 452, 457, 469, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 कुल किता 13 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम ईलाहीपुरा तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात उत्तरदाता प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 के पिता गुलाम मोहम्मद की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात थी। जिला कलेक्टर टोंक द्वारा दिनांक 03.04.2001 के पत्र क्रमांक 112/जिराले/2001 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय को जारी करते हुए उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जांच कर निलामी की कार्यवाही को निरस्त करने बाबत् निर्देश जारी किये गये थे, जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा सम्पूर्ण जांच कर सम्बन्धित नायब तहसीलदार टोंक द्वारा की गई निलामी की कार्यवाही को अपने आदेश दिनांक 18.05.2001 को निरस्त कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में पत्र क्रमांक सं0 42/विविध भी जारी किया गया है, जिसके बाद दिनांक 19.05.2001 को तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 595/रोडा/87/ 96/2001 जारी करते हुए उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में लम्बित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रार्थीगण व उनके पूर्वज के सम्बन्ध में कोई सक्षम आदेश किसी भी अधिकारी/न्यायालय द्वारा जारी नही किया गया हुआ है और ना ही उक्त आदेशों से प्रार्थी गण को कोई अधिकार प्राप्त हुए है। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित भूमि सहित उसके किसी भी भू–भाग से कोई सम्बन्ध नही है, ना ही कभी उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा, काश्त रहा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में असत्य एवं गलत तथ्य अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात पर उत्तरदाता के पिता अपने जीवनकाल पर काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 काबिज, काश्त रहे और उनके नाम ही उक्त भूमि का नामान्तरण उनके वारिसान होने से नियमानुसार जांच कर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा तस्दीक किया गया और उसके बाद प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 ने उक्त आराजीयात की पूर्ण प्रतिफल राशि प्रतिपक्षी सं0 5 से प्राप्त कर उक्त आराजीयात

जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19.05.2017 को प्रतिपक्षी सं0 5 को विक्रय की गई तथा खरीद के बाद से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिपक्षी सं0 5 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षी सं0 5 ही उक्त भूमि की एक मात्र मालिक काबिज एवं स्वामी चली आ रही है, जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही है। प्रार्थीगण केवल मात्र झूठे तथ्य अंकित कर उक्त भूमि को हडपना चाहते है, इस कारण ही उन्होने यह प्रार्थनापत्र पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात पर कब्जा, काश्त होने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सक्षम साक्ष्य पेश नही की है, प्रार्थीगण केवल मात्र उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करना चाहते है। प्रार्थीगण व उनके पूर्वज मुकदमें बाज व्यक्ति है, जो केवल मात्र उक्त भूमि को हडपना चाहते है, जबकि वे अच्छी तरह से जानते है कि उक्त आराजीयात से उनका कोई सम्बन्ध नही है, उक्त आराजीयात पर वे कभी काबिज काश्त भी नही रहे है, ना ही उनका कभी उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा रहा है। बावजूद इसके वह विभिन्न न्यायालयों में पृथक–पृथक रूप से अनेकों प्रकरण पेश कर चुके है, जिनको न्यायालय द्वारा खारिज भी किया जा चुका है और अब इसी नियत से केवल मात्र साक्ष्य एकत्रित करने की बदनियती से उन्होने यह प्रार्थनापत्र गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण उत्तरदातागण को किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है, ना ही न्यायालय से कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया केस सिद्ध है, ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति जैसे बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध एवं प्रबल है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नही है, ना ही उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त है। इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा एवं खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने निम्न नज़ीरें पेश की :–

1- RRD-2008 Page 784
2- RRD-2008 Page 437
3- RRD 2016 Page 513

बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थीया के हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 245, 441/623, 451/2, 452, 457, 469, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 कुल किता–13 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम ईलाहीपुरा पटवार हल्का–बमोर तहसील व जिला टोंक जो पूर्व में गुलाम मोहम्मद की खातेदारी में दर्ज थी। उक्त गुलाम मोहम्मद का देहान्त हो चुका है ओर अप्रार्थीगण 1 ता 4 उसके वारिसान है। गुलाम मोहम्मद ने अप्रार्थी बेंक सं. 6 से ऋण लेकर उक्त भूमि बेंक में रहन रख दी थी। बेंक से निलामी के बाद बेंक से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज श्री हरिराम ने निलामी में खरीदी एंव उसपर कब्जा प्राप्त किया। निलामी राशि प्रार्थीगण द्वारा बेंक को अदा की गयी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा उक्त निलामी को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश करने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 21.12.2017 को आदेश पारित कर पुनः निलामी हेतु निर्देशित किया। इसी बीच अप्रार्थीगण ने

उक्त भूमि को अपने नाम लगवाकर विक्रय कर दिया जिसका वाद जिला न्यायाधीश टोंक में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा बेंक का कर्जा नहीं चुका है इस कारण उनको उक्त भूमि बेचने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम को राजस्व कार्मियों ने कब्जा संभलाया है उसके बाद से मौके पर कब्जा भी प्रार्थीगण का ही है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतित होता है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज गुलाम मोहम्मद द्वारा बेंक से ऋण लिया था जिसे नहीं चुकाने पर बेंक द्वारा उसकी निलामी की गयी। निलामी की राशि बेंक द्वारा जमा की गयी है। बेंक एंव राजस्व कार्मियों द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज श्री हरिराम को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी पुनः निलामी के आदेश जारी किये है वादग्रस्त भूमि को ऋण मुक्त नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि बिना बेंक का ऋण चुकाए भूमि अप्रार्थीगण के नाम आना जांच का विषय है जो मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेजात गवाह सबूत के आधार पर किया जावेगा। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों से एक बात साफ है कि वादग्रस्त भूमि बेंक में रहन थी जिसके पेटे लिये गये ऋण का चुकारा प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम ने किया है प्रतिपक्षीगण के पूर्वज गुलाम मोहम्मद ने नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी पुनः निलामी के आदेश जारी किये है वादग्रस्त भूमि को ऋण मुक्त नहीं किया है। प्रार्थीगण के पूर्वज हरिराम को निलामी में जमा कराई गई राशि वापस लौटाने का कोई दस्तावेज प्रतिपक्षीगण ने पेश नहीं किया है। तहसीलदार ने भी अपनी जांच में उक्त भूमि के हस्तांतरण कार्यवाही को अवैधानिक माना है। वादग्रस्त भूमि को लेकर माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, टोंक में प्रकरण विचाराधीन है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर पुलिस कार्यवाही भी हुयी है। प्रतिपक्षीगण के पक्ष में एक ही बिन्दु है कि वे वादग्रस्त भूमि के खातेदार है, माना की अप्रार्थी नं. 6 वादग्रस्त भूमि की खातेदार है किन्तु कब्जे संबंधित बिन्दु तथा उक्त अन्य बिन्दुओं के निस्तारण होने तक मौके पर भविष्य में होने वाले विवाद एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मौके की यथास्थिति बनाऐ रखना अति–आवश्यक हो गया है। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक सुविधा का संतुलन, कब्जे का विवाद एंव अन्य बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए यह न्यायालय मूल वाद के निर्णय होने तक मौके की यथास्थिति बनाऐ रखना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में दिनांक 05.03.2020 को जारी आदेश को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करते हुए अप्रार्थीगण 1 ता 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 245, 441/623, 451/2, 452, 457, 469, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480 कुल किता–13 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम ईलाहीपुरा पटवार हल्का–बमोर तहसील व जिला टोंक में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें मोके की यथास्थिति बनाऐ रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक 12.01.2021** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक